(संशोधित)

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011
फोन न.– +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,
E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय){निम्न श्रेणी लिपिक} एवं सूबेदार (अनुसचिवीय) {शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} के रिक्त (कार्यपालिक (अनुसचिवीय)) पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2017

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र			
आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	: 01-09-2017	आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	: 15-09-2017
आवेदन मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	: 01-09-2017	आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि	: 20-09-2017
परीक्षा दिनांक व दिन		07-10-2017 एवं 08-10-2017	
परीक्षा शुल्क			
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये			रू. 500/-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)			रू. 250/-
ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 70/- देय होगा इसके अतिरिक्त रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 40/- रू. देय होगा ।			

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
07-10-2017 एवं 08-10-2017	प्रथम	प्रात: 07:30 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रात: 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	अपरान्ह 01:30 बजे	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	सायं 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे))

टिप्पणी :-

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है । अभ्यर्थी का आधार के माध्यम से (e-KYC) आवेदन पत्र ही मान्य होंगे ।
2. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है।
3. यु.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।
4. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय के 30 मिनिट पश्चात तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
5. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।
6. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
7. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है
8. मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
9. **उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।**
10. परीक्षा में भर्ती हेतु आदिम जनजाति(बैगा,सहारिया एवं भारिया) के उम्मीदवारो को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा, वे अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु आनलाईन आवेदन कर सकते है ।
11. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी ।

1.4 पदों का वेतनमान:-

स.क्र.	पद नाम	वेतनमान
1.	सहायक उप निरीक्षक(अनुसचिवीय) निम्न श्रेणी लिपिक	5200-20200+ग्रेड पे 1900/-
2.	सूबेदार(अनुसचिवीय) शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)	9300-34800+ग्रेड पे 3600/-

1.5 न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता:-

स.क्र.	पद नाम	शैक्षणिक अर्हताऐं
1.	सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) निम्न श्रेणी लिपिक	(1)- हायर सेकेंडरी परीक्षा (पुरानी प्रणाली) या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) प्रणाली में उत्तीर्ण होना चाहिए। (2)- सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) के लिए हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा प्रमाण पत्र के स्थान पर लागू सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 01 जुलाई 2013 के (कम्प्यूटर टायपिंग) प्रावधान को संशोधित करते हुये व्यापम के स्थान पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test- CPCT) कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी टाईपिंग उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) को मान्य किया जाता है। (3)- निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:- 1. Diploma from all Universities recognized by UGC. 2. Diploma from all Open universities recognized by UGC. 3. Diploma level examination from DOEACC. 4. Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College. 5. One Year Certificate Course in "Computer Operator and Programming Assistant(COPA)" from Government I.T.I. निम्नानुसार अहर्ताओं को कम्प्यूटर डिप्लोमा/डिग्री हेतु सम्मिलित किया जाता है:- (1)बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.) बी.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.)एम.टेक/एम.ई. इत्यादि (2)-ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पोलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर सांईस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि नोट- बी.एस.सी./बी.कॉम./डिग्रीयां जिनमें केवल कम्प्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगा।
2.	सूबेदार (अनुसचिवीय) शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर)	(1)- हायर सेकेंडरी परीक्षा (पुरानी प्रणाली) या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) प्रणाली में उत्तीर्ण होना चाहिए।, (2)- मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद्/बोर्ड या समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से हिन्दी शीघ्रलेखन (स्टेनोग्राफी) (100 शब्द प्रति मिनट की गति से) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा

		एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त पोलीटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्रमाण-पत्र अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित अन्य किसी संस्थान से उत्तीर्ण समकक्ष परीक्षा। (3)- **मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रं. सी 3-15/2014/1/3, भोपाल दि. 26 फरवरी 2015 के अनुसार** सूबेदार (अनुसचिवीय){शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} के लिए हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा प्रमाण पत्र के स्थान पर लागू सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 01 जुलाई 2013 के (कम्प्यूटर टायपिंग) प्रावधान को संशोधित करते हुये व्यापम के स्थान पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test- CPCT) का कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी टाईपिंग उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) को मान्य किया जाता है। (4)- मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुदलेखन परीक्षा परिषद/बोर्ड या समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा (100 शब्द प्रति मिनिट) उत्तीर्ण अथवा एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त पोलीटेक्नीक महाविधालय से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्रमाण पत्र अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित अन्य किसी संस्थान से उत्तीर्ण समकक्ष परीक्षा होना अनिवार्य तथा सूबेदार(अनुसचिवीय){शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)} का शीघ्रलेखन का व्यावहारिक टेस्ट अनिवार्य रूप से लिया जाएगा । (5)- निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:- 1. Diploma from all Universities recognized by UGC. 2. Diploma from all Open universities recognized by UGC. 3. Diploma level examination from DOEACC. 4. Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College. 5. One Year Certificate Course in "Computer Operator and Programming Assistant(COPA)" from Government I.T.I. निम्नानुसार अहर्ताओं को कम्प्यूटर डिप्लोमा/डिग्री हेतु सम्मिलित किया जाता है:- (1)बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.) बी.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.)एम.टेक/एम.ई. इत्यादि (2)-ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पोलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर सांईस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि नोट- बी.एस.सी./बी.कॉम./डिग्रीयां जिनमें केवल कम्प्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगा।